भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *97

दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तेलंगाना में केंद्रीय निधि का आवंटन

***97. श्री गोडम नागेशः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत तेलंगाना को वर्ष-वार कुल कितनी केन्द्रीय निधियां जारी की गई हैं।

(ख) समामेलित आयुष्मान भारत आरोग्यश्री योजना के अंतर्गत उक्त राज्य द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उसमें से कितनी निधियों का उपयोग किया गया है,

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के कुप्रबंधन के कारण तेलंगाना को कोई परामर्श जारी किया है अथवा आगे जारी की जाने वाली निधियों पर रोक लगा दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या पिछले दो वर्षों से संकाय सदस्यों के 1,200 से अधिक पद रिक्त होने के कारण राज्य में चौदह सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध अस्पताल सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार सीधी भर्ती किए जाने या एम्स की तर्ज पर राज्य में कम से कम तीन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को अपने नियंत्रण में लेने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 05 दिसंबर, 2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *97 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के अन्तर्गत राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों तथा मौजूदा मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। एनएचएम के तहत निधियां जारी करना इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक तेलंगाना राज्य के लिए एनएचएम के तहत केंद्र द्वारा निर्गत राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपये में)

वित्तीय वर्ष	**निर्गत राशि**
2024-25	1,110.43
2025-26 (अनंतिम; 31.10.2025 तक)	240.14

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है और योजना की मौजूदा नीति के अनुसार लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। तेलंगाना राज्य के संदर्भ में केंद्रीय अंश और राज्य अंश का अनुपात 60:40 है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एबी-पीएमजेएवाई के तहत तेलंगाना राज्य के लिए जारी की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**निर्गत राशि**
2024-25	218.29
2025-26 (अनंतिम; 31.10.2025 तक)	56.85

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एबीपीएम-जेएवाई के तहत जारी की निधियों का उपयोग अस्पताल के दावों के निपटान के लिए किया जाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 'सरकारी चिकित्सा कॉलेजों को नए स्नातकोत्रर विषय शुरू करने तथा स्नातकोत्रर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन' हेतु एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) संचालित करता है। योजना के तहत, अवसंरचना के विकास और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण की व्यवस्था उत्तर पूर्वी और विशेष श्रेणी राज्यों हेतु 90:10 तथा अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है।

उपरोक्त योजना के दो चरणों में तेलंगाना राज्य के विभिन्न सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में कुल 511 स्नातकोत्रर सीटों को मंजूरी दी गई है। जिसकी अनुमोदित लागत 327.55 करोड़ रुपये है। योजना के तहत अनुमोदित स्नातकोत्रर सीटों का कॉलेज-वार और चरण-वार विवरण निम्नानुसार है:

चरण-I

रुपये करोड़ में

क्र.सं.	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	अनुमोदित स्नातकोत्रर सीटों की संख्या	कुल लागत	केंद्रीय अंश (60%)	कुल निर्गत
1	गांधी मेडिकल कॉलेज, सिकंदराबाद	77	8.39	5.6670	5.6670
2	ककातिय मेडिकल कॉलेज वारंगल	89	10.457	7.4716	7.4716
3	उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद	113	43.87	29.6120	29.6120
	कुल	**279**	**62.717**	**42.7506**	**42.7506**

* पूरा केंद्रीय अंश जारी कर दिया गया है।

चरण -II

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	जिले का नाम	अनुमोदित सीटों की संख्या	स्वीकृत लागत	केंद्रीय अंश (60%)	वर्ष 2022-23 में जारी की गई निधियाँ	टिप्पणियां
1	जीएमसी, सूर्यापेट	25	30	18	7.20	योजना के अंतर्गत निधियों के निर्गत व्यय की गति, संबंधित राज्य के अंश की निर्गत राशि और उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति, तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की मांग पर निर्भर करती है।
2	जीएमसी, सिद्दीपेट	80	83.88	50.32	20.14	
3	जीएमसी, नलगोंडा	30	35.49	21.29	8.64	
4	जीएमसी, निज़ामाबाद	16	19.2	11.52	4.61	
5	उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद	32	38.35	23.01	9.21	
6	जीएमसी, महबूबनगर	10	11.98	7.19	2.88	
7	केएमसी, वारंगल	03	3.6	2.16	0.87	
8	आरआईएमएस, आदिलाबाद	22	25.64	15.38	6.16	
9	गांधी मेडिकल कॉलेज, सिकंदराबाद	14	16.7	10.02	4.03	
	कुल	**232**	**264.84**	**158.89**	**63.74**	

****